रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 28, 1983/माघ 8, 1904
No. 21] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 28, 1983/MAGHA 8, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं०: 4-ईटीसी(पी एन)/83

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1983

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय : रेंगने वाले जन्तुओं/सांप की खाल से बनी हुई जुड़े हुए मूल्य वाली मदों का भारत लैदर कार्पोरेशन द्वारा निर्यात।

सं० 25 (4)/83-ई (2).—उपर्युक्त विषय पर निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश सं० ई(सी)ओ 1977/एएम (256), दिनांक 28 जनवरी, 1983 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर भारत लैदर कार्पोरेशन द्वारा रेंगने वाले जंतुओं/सांप की खाल से बनी जुड़े हुए मूल्य वाली मदों का निर्यात 31-3-83 तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमेय करने का निश्चय किया गया है :—

1. भारत लैदर कार्पोरेशन शीघ्र ही सांप/रेंगने वाले जन्तुओं की खालें निर्धारित मूल्य पर उन व्यक्तियों से खरीद करने की योजना अधिसूचित करेगा, जिन्होंने पहले ही अपने स्टाक की घोषणा वन्य जीवन प्राधिकारियों के पास घोषित कर दी है। इस उद्देश्य के लिए भारत लैदर कार्पोरेशन शीघ्र ही एक ऐसी समय सीमा निर्धारित करने के लिए एक व्यापार सूचना जारी करेगा जिस सीमा तक वे खालें स्वीकार करेंगे।

2. जहां कहीं घोषित किए गए स्टाक के धारक रेंगने वाले जन्तुओं/सांप की खालों को उनके द्वारा घोषित स्टाक के बराबर नहीं देते हैं तो भारत लैदर कार्पोरेशन इसकी सूचना भागामी छान-बीन करने के लिए संबंधित प्रधिकारी को देंगे और इस संबंध में कार्रवाई वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के अनुसार की जाएगी।

3. भारत लैदर कार्पोरेशन उनके द्वारा निर्धारित अधिसूचित समय के बाद स्टाक धारकों से किसी भी प्रकार की खालें स्वीकार नहीं करेगा।

4. भारत लैदर कार्पोरेशन शीघ्र ही अभी-अभी घोषित किए गए स्टाक से और सीमा शुल्क से ली गई खालों को निर्यात करने योग्य मदों के रूप में परिवर्तित करने के लिए कार्रवाई करेगा।

5. केवल सांप/रेंगने वाले जन्तुओं की खाल से बनी जोड़े गए मूल्य वाली वस्तुओं का निर्यात अनुमेय होगा और इस प्रकार सांप/रेंगने वाले जन्तुओं की खालों के निर्यात के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. भारत लैदर कार्पोरेशन स्टाक के धारक और सीमाशुल्क प्राधिकारियों से प्राप्त सांप/रेंगने वाले जन्तुओं की खालों का और उनसे बनी वस्तुओं का अलग-2 पूर्ण रिकार्ड रखेगा।

7. भारत लैदर कार्पोरेशन, संयुक्त नियंत्रक आयात निर्यात, केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र, नई दिल्ली को विनिर्मित वस्तुओं का विस्तृत ब्यौरा भेजेगा, जिससे यह कार्यालय निगम को निर्यात लाइसेंस जारी कर सके।

8. भारत लैदर कार्पोरेशन सांप/रेंगने वाले जन्तुओं की खालों से बनी हुई वस्तुओं के निर्यात और उनके पास उपलब्ध शेष खालों की एक मासिक रिपोर्ट वन और वन्य जन्तु के प्रभारी संयुक्त सचिव वाणिज्य मंत्रालय (ई०पी०एग्री० प्रभाग) के संयुक्त सचिव, उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय के निर्यात प्रभाग को भेजेगा।

3. तदनुसार, 1982-83 के लिए आयात-निर्यात नीति पुस्तक (जिल्द-2) के पृष्ठ 8 पर क्रम सं० 4 (ख), (7), (ग) के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी. -

अनुसूची 1. भाग ख की क्रम सं०	मद का विवरण	निर्यात नीति
4(ख) (7) (घ)	रेंगने वाले जन्तुओं/सांप की खालों से विनिर्मित वस्तुएं	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात केन्द्रीय क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए निर्यात लाइसेंस के मद्दे भारत लैदर कार्पोरेशन द्वारा निर्यात केवल चार प्रमुख पत्तनों अर्थात् बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली से अनुमेय होगा

रोमा मजूमदार, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

PUBIC NOTICE NO. 4-ETC(PN)/83

New Delhi, the 28th January, 1983

EXPORT TRADE CONTROL

Subject:—Export of Value Added Items made out of Reptiles/ Snake Skins by Bharat Leather Corp

No. 25 (4)/83-E (II).—Attention is invited to the Exports (Control) Amendment Order No. E(C)O, 1977/AM(256) dated the 28th January, 1983, on the above subject.

2. On a review of the position it has been decided to allow the export of value added items made out of Reptiles/Snake Skins by Bharat Leather Corporation, New Delhi, upto 31-3-1983 subject to the following conditions:—

1. Bharat Leather Corporation shall immediately notify the Scheme to buy the Snake/Reptile Skins at a stipulated price at their premises from those who have already declared their stocks to the Wild Life authorities. For this purpose, the Bharat Leather Corporation will issue immediately a Trade Notice fixing a time limit upto which they will accept the skins.
2. Where the declared stock holders do not tender the reptile/snake skins equivalent to the stock declared by them, the Bharat Leather Corporation will report to the concerned authority for further investigation and action in accordance with the Wild Life Preservation Act.
3. Bharat Leather Corporation shall not accept any skins from the stock holders after the stipulated period notified by them.
4. Bharat Leather Corporation shall immediately take action to convert the skins into exportable items out of the currently declared stocks with the Private Trade and the stocks taken over from the Customs.
5. Only value added articles made out of Snake/Reptiles Skins will be allowed for export and Snake/Reptile Skins, as such, shall not be permitted for export.
6. Bharat Leather Corporation shall maintain complete records of the Snake/Reptile Skins acquired by them separately from the stock holders and the Customs authorities and the articles made out of them.
7. The Bharat Leather Corporation shall furnish details of the manufactured articles, to the Joint Chief Controller, Central Licensing Area. New Delhi, to enable that office to issue export licence to the Corporation.
8. Bharat Leather Corporation shall furnish a monthly report of exports of articles made out of Snake/Reptile skins and the balance skins available with them to the Joint Secretary, Incharge of Forestry and Wild Life, Joint Secretary, Ministry of Commerce (EP Agri. Division), the Joint Secretary, Ministry of Industry and the Office of Chief Controller of Imports and Exports (Export Division).

3. Accordingly the following entry shall be made at page 8 of the Imports and Exports Policy (Vol. II) for 1982-83 after S. No. 4(b)(7)(C) :—

S. No. as in Part 'B' of Schedule I	Description of the item	Licensing Policy
4(b)(7)(D)	Manufactured articles made out of Reptile/Snake Skins	Export will be allowed by Bharat Leather Corporation only from four major ports of Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi, against Export Licences to be issued by Jt. Chief Controller of Imports and Exports, Central Licensing Area, New Delhi.

ROMA MAZUMDAR,
Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983